छत्तीसगढ़ शासन

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़

''प्रशासकीय प्रतिवेदन''

वर्ष 2006–2007

छत्तीसगढ़ शासन

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2006–2007

संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2006–2007

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	–	पशुपालन विभाग
प्रभारी मंत्री	–	मान. श्री ननकी राम कंवर
संसदीय सचिव	–	मान. श्री पूनम चन्द्राकर

सचिवालय

प्रमुख सचिव (कृषि उत्पादन आयुक्त)	–	श्री पंकज द्विवेदी (आई.ए.एस.)
सचिव कृषि (पशुपालन)	–	डॉ0 एच0एल0 प्रजापति (आई.ए.एस.)
उप सचिव	–	डॉ0 अनिल चौधरी
अवर सचिव	–	श्री आर0के0 बर्मन
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	–	डॉ0 श्रीमती मेरी0बी0 जॉन

विभागाध्यक्ष

संचालक	–	अमीर अली (आई.ए.एस.)

अनुक्रमणिका

भाग–एक

क्रमाक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग का उद्देश्य, विभागीय संरचना	1
2	अधिनस्थ कार्यालय	1–2
3	विभाग के अंतर्गत् आने वाले मण्डल/उपक्रम /संस्थाओं का विवरण	3
3.1	रायपुर दुग्ध संघ	3–5
3.2	छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग	6
3.3	राज्य पशु चिकित्सा परिषद्	6
3.4	छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण	7–8
4	विभाग के दायित्व	
4.1	पशुपालन विभाग के कार्य	9
4.2	डेयरी सेवा	10
5	सामान्य जानकारी	11
6	विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं दायित्व का विवरण	
6.1	पशु स्वास्थ्य रक्षा	12
6.2	टीकाकरण कार्य	13
6.3	शिविर	13
6.4	पशु रोग अन्वेषण कार्य	14
6.5	पशु माता महामारी योजना	14–15
6.6	पशु नस्ल सुधार	15–16
6.7	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	16–17
6	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय	
7.1	सर्वेक्षण कार्य	17–18
7.2	पशु संगणना	18

भाग–दो

2.1	बजट एवं व्यय संबंधी टीप	19
2.2	बजट एवं व्यय एक दृष्टि में	19–20
2.3	आयोजनेत्तर बजट एवं व्यय	20
2.4	आयोजनेत्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता/सहायक अनुदान संबंधी बजट एवं व्यय	20
2.5	पशुपालन आयोजना बजट एवं व्यय	21
2.6	पशुपालन आयोजना त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता/सहायक अनुदान संबंधी बजट एवं व्यय	21
2.7	आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत् बजट एवं व्यय	21
2.8	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत् बजट एवं व्यय	22
2.9	आयोजना	22
2.10	तीन वर्षो में निम्नलिखित योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी	22

भाग–तीन

	(अ) राज्य योजना	
3.1	कुक्कुट विकास	23–24
3.2	सूकर पालन योजना	23–24
3.3	बकरी पालन योजना	23–24
3.4	उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण	23–24
3.5	शत प्रतिशत अनुदान पर वृक्षारोपण कार्यक्रम	25
3.6	विशेष पशुपालन कार्यक्रम	25
	(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना	
3.7	गौवंशीय–भैंसवंशी परियोजना	25
3.8	पशु रोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड)	26
3.9	बतख सह टर्की पालन प्रक्षेत्र	26
3.10	राज्य पशु चिकित्सा परिषद्	26–27
	(स) केन्द्र क्षेत्रक योजना	
3.11	पंचवर्षीय गौवंशीय–भैंसवंशीय योजना	27–28
3.12	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना	28–29
	(द) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	29
	(इ) विदेशी सहायता से प्राप्त योजनाएं/ परियोजनाएं	29
	(फ) अन्य योजनाएं	
3.13	बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना	30
3.14	गौसेवक योजना	31
3.15	रोगी पशु कल्याण समिति	31

भाग–चार

4	सामान्य प्रशासनिक विषयक	32

भाग–पांच

	अभिनव योजना	
5.1	गाय वितरण योजना	32–33
5.2	बैलजोड़ी वितरण योजना	33–36
5.3	ग्रामोत्थान योजना	37
5.4	डेयरी विकास कार्यक्रम	37
5.5	चारा विकास	37
5.6	सांड वितरण योजना	37
5.7	जे.के.ट्रस्ट ग्राम विकास योजना	37

भाग–छः

	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन का विवरण	38

भाग–सात

	सारांश	39

भाग–एक

विभाग का उद्देश्य :–

पशुपालन विभाग का उद्देश पशु स्वास्थ्य–रक्षा, पशु–संवर्धन, पशुपालन, उन्नत पशु प्रजनन एवं पशु, कुक्कुट, भेंड, बकरी, सूकर विकास के जरिये कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाना है।

1. विभागीय संरचना

पशुपालन विभाग के अंतर्गत् प्रदेश में पशु चिकित्सा, पशु संवर्धन आदि समस्त विभागीय योजनाओं का नियंत्रण, परिचालन, पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं विभागीय क्रिया–कलापों का क्रियान्वयन कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि तथा सचिव, कृषि(पशुपालन) छत्तीसगढ़ शासन के अधीन संचालित होता है।

राज्य स्तर

संचालनालय स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक तकनीकी एवं कार्यपालिक सहयोग के लिए संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक, उप दुग्ध आयुक्त, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, एवं सहायक संचालक (सांख्य.) के पद स्वीकृत/कार्यरत है। संचालनालय स्तर से पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन, मुख्य ग्राम योजना, विशेष पशुपालन कार्यक्रम पशु, कुक्कुट विकास, बकरी पालन, प्रक्षेत्र, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, चारा विकास तथा विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु सांख्यिकीय सर्वेक्षण आदि कार्य कराये जाते है।

2. अधिनस्थ कार्यालय

(अ) जिला स्तर

एकीकृत मध्यप्रदेश में विभागीय संरचना से संभागीय कार्यालयों के समाप्त होने पर जुलाई 1999 से राज्य स्तर से सीधे जिलों मे प्रशासनिक व्यवस्था स्थानान्तरित की गई है। जिलों में (पूर्व मुख्यालय) संयुक्त संचालक के पद रायपुर, बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) एवं शेष 13 जिलों में उपसंचालक जिला प्रमुख है।

(ब) तहसील स्तर/ब्लाक स्तर

तहसील तथा ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सालय/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, चल विरूजालय, मुख्य ग्राम खण्ड आदि संस्थायें कार्यरत है, जिनमें पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी पदस्थ है।

(स) ग्राम स्तर

ग्राम स्तर पर पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान एवम् मुख्य ग्राम खण्ड उपकेन्द्र आदि संचालित है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र की विभागीय संस्थाओं में कार्यरत है तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक पशु उपचार हेतु पहुंच विहीन ग्रामों में यथासंभव प्रशिक्षित गौसेवकों की सेवायें भी पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य से ग्राम स्तर तक विभागीय संरचना अनुसार कार्यरत् अमला निम्न है :–

क्रमांक	श्रेणी / पदनाम	कार्यरत
	प्रथम श्रेणी	
1–	संचालक	01
2	अपर संचालक	–
3–	संयुक्त संचालक	02
4–	उपसंचालक	03
5	उपसंचालक (वित्त)	01
6–	उप दुग्ध आयुक्त	04
	योग	**11**
	द्वितीय श्रेणी	
1–	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	353
2–	सहायक संचालक (सांख्यिकीय)	02
3–	सहायक दुग्ध आयुक्त	09
	योग	**364**
	तृतीय श्रेणी	
1–	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	1417
2–	तृतीय श्रेणी लिपकीय	249
3–	तृतीय श्रेणी अलिपकीय	143
	योग	**1809**
	चतुर्थ श्रेणी	
1	**चतुर्थ श्रेणी**	1789
2	आकस्मिक निधि स्थापना	985
	योग	**2774**
	महायोग	**4958**

3. विभाग के अंतर्गत् आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

विभाग के अंतर्गत् निम्न उपक्रम संचालित है :–

3.1. रायपुर दुग्ध संघ	–	01
3.2. छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग	–	01
3.3 राज्य पशु चिकित्सा परिषद्	–	01
3.4 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण	–	01

(3.1) रायपुर दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित रायपुर
(31 जनवरी 2007 की स्थिति में)

रायपुर दुग्ध संघ का पंजीयन जुलाई 1983 में हुआ । इसका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सात जिलों यथा–रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा तथा जांजगीर चांपा तक विस्तारित है। वर्तमान में संघ द्वारा जगदलपुर एवं पखांजुर में भी डेयरी विकास की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

रायपुर दुग्ध संघ का मूल उद्‌देश्य :–

ग्रामीण अंचल की दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों से उनके गॉवों में ही दूध क्रय करना एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादों का निर्माण करना तथा नगरीय उपभोक्ताओं को उनका विक्रय करना, कृषकों के लिए अन्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों को लागू करना, इत्यादि, रायपुर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य उद्‌देश्य है। संघ द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्‌देश्य से तकनीकी सहायता, जैसे– चरी–चारा विकास तथा पशु आहार आदि भी उपलब्ध करायी जा रही है। संघ द्वारा ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से उनके उत्पादित दूध का वर्ष पर्यन्त उनके घर पर ही मार्केट उपलब्ध कराया जाता है एवं उनके द्वारा उत्पादित दूध के उचित मूल्य का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है जो उनके आर्थिक उत्थान में सहायक हो रहा है।

अधोसंरचना :–

दुग्ध संघ का मुख्य संयंत्र ग्राम–उरला, जिला–दुर्ग में स्थापित है, जिसकी क्षमता एक लाख लीटर प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त धमतरी एवं बसना में पांच–पांच हजार लीटर क्षमता के शीत केन्द्र तथा बिलासपुर में दस हजार लीटर क्षमता का डेरी प्लॉट स्थापित है। मुख्य संयंत्र में पाश्चुरीकरण, मक्खन, घी, श्रीखण्ड, मीठा दही, फलेवर्डमिल्क, पनीर, नमकीन मसाला मठा आदि उत्पाद बनाये जाते है। संघ द्वारा दूघ एवं दुग्ध पदार्थो विपणन 'सांची' ब्राण्ड के नाम से किया जातो है। संघ द्वारा उपरोक्त दुग्ध उत्पादों का विपणन रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, कवर्धा, बेमेतरा, आदि शहरों में किया जा रहा है।

राज्य शासन के निर्णय के दृष्टिगत रायपुर दुग्ध संघ की समस्त गतिविधियों का प्रबंधन एवं संचालन दिनांक 26/8/2003 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी0) द्वारा किया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी विकास किया जा सके एवं रायपुर दुग्ध संघ को वित्तीय संकट से उबार कर लाभ की स्थिति में लाया जा सके।

वर्तमान में करीब 17549 दुग्ध उत्पादकों द्वारा 306 कार्यरत् दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 29000 लीटर दूध प्रदाय किया जा रहा है तथा 38,000 लीटर दूध प्रतिदिन शहरी उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से आदिवासी बी.पी.एल. परिवारों को वितरित दुधारू गायों से प्राप्त दूध, दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर, उचित मूल्य पर रायपुर दुग्ध संघ द्वारा क्रय किया जाकर, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशु आहार वितरित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत् संघ की गतिविधियों को बढ़ावा देने, मुख्य डेयरी प्लांट एवं शीत केन्द्रों का नवीनीकरण करने, ग्रामीण स्तर पर नवीन समितियों का गठन करने, प्रशिक्षण देने तथा दूध विपणन में गति लाने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करायी गई है तथा उपरोक्त सभी कार्यक्रम प्रारंभ किए जा चुके है।

इन योजनाओं से जहां एक ओर गरीब ग्रामीण परिवार दुग्ध व्यवसाय से जुडेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य में डेयरी व्यवसाय का विकास होगा।

दुग्ध समितियों में आटोमेशन :–

83 दुग्ध समितियों से 05 दुग्ध शीत केन्द्र को इलेक्ट्रनिक मिल्कों टेस्टर एवं 43 दुग्ध समितियों व 5 शीतकेन्द्रों को इलेक्ट्रानिक तोल मशीन प्रदाय किया गया। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर डेयरी के लिए नया प्लांट मशीनरीज का क्रय किया गया है। रायपुर डेयरी भवन में सुधार कार्य कराया गया। अन्य शीतलीकरण संयत्रों का सुधार कार्य हाथ में लिया गया है।

ग्राम सर्वेक्षण अभियान :–

दुग्ध संघ द्वारा उत्पादन क्षमता के सही आंकलन हेतु ग्रामीण सर्वेक्षण अभियान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से शुरू किया गया है। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 27:80 लाख रूपये के अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। दुग्ध संघ क्षेत्र अंतर्गत् पांच जिले यथा–रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुन्द एवं बिलासपुर में प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाना है, ताकि दुग्ध उत्पादन संबंधी समस्त गतिविधियों का सही आंकलन किया जा सके तथा तदुपरांत दुग्ध व्यवसाय वृद्धि हेतु रणनीति तैयार की जा सके।

प्रथम चरण में महासमुन्द, धमतरी, रायपुर एवं दुर्ग जिलों में ग्राम सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा बिलासपुर जिले में यह कार्य शीघ ही किया जायेगा।

रायपुर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की प्रमुख भौतिक गतिविधियों की अद्यतन स्थिति (31 जनवरी– 2007 तक की स्थिति)

क्रमांक	विवरण	उपलब्धि (जनवरी 2007)
1	गठित दुग्ध समितियों की संख्या	589
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	306
3	कुल सदस्यों की संख्या	28182
4	कार्यशील समितियों में सदस्यों की संख्या	17549
5	वर्तमान दुगध संकलन (प्रतिदिन किलो) अप्रेल 2006 से जनवरी 2007	29000
6	औसत दुग्ध संकलन (प्रतिदिन किलो)	26456
7	वर्तमान दुग्ध वितरण (प्रतिदिन लीटर)	38000
8	औसत दुग्ध वितरण (प्रतिदिनि लीटर) अप्रेल 2006 से जनवरी 2007	35788
9	पशु आहार विक्रय (मै. टन)	3028
10	वर्तमान दूध कय दर भैंस (प्रति किलो) गाय (प्रति किलो)	 रू0 11.82 रू0 10.00
11	अधिकतम दुग्ध संकलन (किलो)	31432
12	अधिकतम दुग्ध वितरण (लीटर)	57724
13	मासिक टर्न ओव्हर	रू0 180 लाख

(3.2) राज्य गौ–सेवा आयोग

राज्य की गौशालाओ के रख रखाव एवं गौवंश की रक्षा हेतु छ.ग.राज्य गौसेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री पवन दीवान जी हैं। श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित एवं श्री ओम प्रकाश जी सलाहकार है। मान.श्री सेवाराम अग्रवाल, मान. श्री हरीश भाई जोशी, मान. श्री गोपाल शर्मा, मान. श्री रमेश दुबे एवं मान. श्री रमेश यदु उक्त आयोग के सदस्य हैं।

उददेश्य :–

- गौवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन।
- वध के लिये ले जा रहे, कृषिक पशुओं को रोकना एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- राज्य की गौशालाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण करना।

आयोग द्वारा राज्य की 22 गौशालाओं का पंजीयन किया गया है। चालु वित्तीय वर्ष में रूपये 43.10लाख का अनुदान 09 गौशालाओं को वितरित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम–2004 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 11.09.2006 को किया गया है। जिसमें निहित प्रावधान अनुसार समस्त कृषिक पशुओं का वध राज्य में निषेध है।

छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है, जहॉ गौवंशीय पशुओं के साथ ही भैंस वंशीय पशुओं का वध भी पूर्ण रूप से प्रतिषेधित किया गया है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले या प्रयास करने वाले अपराधी को किसी भी प्रकार के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा,या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा , या दोनो से दंण्डित किया जा सकेगा। अधिनियम के तहत यह सांबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, कि कृषिक पशु का वध, परिवहन या विक्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नही था ।

(3.3) राज्य पशु चिकित्सा परिषद

पशु चिकित्सा स्नातकों के पंजीयन एवं मापदण्ड के अनुरूप पशु चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण एवं विभागीय व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु राज्य पशु चिकित्सा परिषद का गठन कर पशु चिकित्सा सहायक शल्यझ का पंजीयन कार्य किया जाता है। 31 जनवरी, 2007 तक 308 पशु चिकित्सा व्यवसायियों का स्थायी पंजीयन एवं 162 पशु चिकित्सा सहायक शल्यझ का अस्थाई पंजीयन किया गया है। परिषद के भवन निर्माण कार्य मार्च 2007 तक पूर्ण हो जाएगा.

(3.4) छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राज्य व्यापी गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई।

केन्द्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को रू. 10.42 करोड़ की राशि 5 वर्षो के लिए गौवंशीय–भैंसवंशीय परियोजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी। वर्ष 2001–2002 व वर्ष 2002–2003 के लिए रू. 2.74 करोड़ की राशि, वर्ष 2003–04 में 0.98 करोड़, वर्ष 2004–05 में 1.00 करोड़ व वर्ष 2005–06 में रूपये 5.70 करोड़ योजना के कियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये है। प्राप्त राशि द्वारा पशु संवर्धन कार्य सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। अभिकरण द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, अंजोरा, जिला–दुर्ग में स्थापित किया जा चुका है एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द का निर्माण किया गया है। प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

योजना के उद्देश्य :–

- गौवंश एवं भैंसवंश के पशुओं में उन्नल नस्ल के सांडों के हिमीकृत वीर्य से सुधार कर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को चलित बनाया जाकर पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराना।
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्यकम हेतु पशु चिकित्सा विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण।
- सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर पाठ्यकम में एक रूपता।
- प्रदेश में हिमीकृत वीर्य गर्भाधान पालिसी के तहत संरक्षित नस्लों हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिए हिमीकृत वीर्य की उपलब्धता।
- तरल नत्रजन वितरण व भंडारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- सीमन बैंको की भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु सुदृढ़ीकरण।
- स्वरोजगार व कृत्रिम गर्भाधान सुविधा क्षेत्र विस्तारण हेतु प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, सामग्री व टेपरिंग ग्रांट प्रदाय।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त अभिकरण द्वारा पशुपालन विभाग से सामंजस्य स्थापित कर अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाना सम्मिलित है।

कार्य विवरण

1. राज्य में 709 चलित कृत्रिम गर्भाधान इकाईयां स्थापित।
2. 300 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की क्षेत्र में स्थापना।
3. फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन, अंजोरा, जिला–दुर्ग का निर्माण।
4. प्रशिक्षण केन्द्र व छात्रावास भवन, महासमुन्द का निर्माण।
5. तरल नत्रजन वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु मोबाइल टेंकर व स्टोरेज टेंकरों का प्रदाय।
6. वीर्य भंडारण में परीक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु सीमन बैंको का सुदृढ़ीकरण।
7. तरल नत्रजन वितरण केन्द्रो का सुदृढीकरण।
8. राज्य के समस्त जिलों का कम्प्यूटरीकरण।
9. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
10. पशु उर्वरता शिविरों का आयोजन।
11. प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण।
12. पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण।

4. विभाग के दायित्व

4.1 पशुपालन विभाग के कार्य :

- ❖ पशुपालन जिसमें पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि शामिल है.
- ❖ पशु चिकित्सा सेवाएं जिसमें पशु रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार शामिल है.
- ❖ पशु चिकित्सा अनुसंधान.
- ❖ समुन्नत प्रजनन.
- ❖ चारा विकास.
- ❖ जैविक संस्थाएं.
- ❖ विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.
- ❖ समस्त प्रकार के पशुवध गृहों का पंजीकरण.
- ❖ पशुवध कार्य का पर्यवेक्षण एवं मांस की गुणवत्ता नियंत्रण.
- ❖ कुक्कुट पालन, प्रजनन एवं संवर्धन.
- ❖ अण्डों एवं मांस की जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण.
- ❖ पशुपालन गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास एवं सांख्यिकी.
- ❖ ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, वेतन, छुट्‌टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन.)

4.2 डेयरी सेवा

- ❖ डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, समन्वय, विकास एवं सांख्यिकीय.
- ❖ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के अंतर्गत पंजीयन.
- ❖ विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.
- ❖ दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन, परिसमापन एवं विकास से संबंधित कार्य.
- ❖ डेयरी उद्योग से संबंधित रोजगार मूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन.
- ❖ दुग्ध उत्पादन, विपणन, उपभोग में वृद्धि एवं उत्पादन लागत में कमी हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए डेयरी उद्योग का विकास.
- ❖ दुग्ध, दुग्ध उत्पादों और पशु आहार की जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण सिंथेटिक दुग्ध, दुग्ध पदार्थो, पशु आहार के परिवहन, उत्पादन, भण्डारण, विक्रय की रोकथाम करना.
- ❖ दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी उद्योग से संबंधित मानव संस्थान की गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रम.
- ❖ चारा विकास.
- ❖ ऐसी सेवाओं से संबंद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किए गए विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पद–स्थापनायें, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन)

5. सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 135000 वर्ग– किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को 16 जिलों, 96 तहसीलों एवं 146 विकास खण्डों मे विभाजित किया गया है। राज्य में ग्राम–पंचायतों की संख्या 9820 है।

प्रदेश मे कुल पशुधन 13492954 है, जिसमें गौवंशीय, 8881729 भैंस वंशीय, 1598041 एवं शेष पशुधन 3013184 है। इसमें भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर एवं अन्य पशु शामिल है। राज्य में पक्षीधन (कुक्कुट, बतख, जापानी बटेर एवं अन्य) की संख्या 8181324 है। जिलेवार पशुधन की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	जिला	गौवंशीय	भैंस वंशीय	बकरा बकरी	सूकर	भेड़
1	रायपुर	1167818	173747	151635	13307	26207
2	महासमुन्द	374806	55240	64213	4229	6856
3	धमतरी	304593	49015	42086	10208	181
4	दुर्ग	940103	152166	130892	11120	10306
5	राजनांदगांव	664153	143336	103371	16752	4613
6	कवर्धा	304066	61776	57576	8890	1778
7	बिलासपुर	756289	159279	133935	9048	6186
8	कोरबा	291705	80301	113157	1856	71
9	जांजगीर	460453	121856	51677	3748	5706
10	रायगढ़	431897	85313	134830	10336	14218
11	जशपुर	383012	37883	202212	69434	7441
12	अम्बिकापुर	942046	203745	506821	61723	5333
13	कोरिया	275113	51758	115154	3397	11
14	जगदलपुर	616663	107297	193289	129559	21632
15	कांकेर	331337	45428	114037	65933	1586
16	दन्तेवाड़ा	637675	69901	220838	132837	8539
	कुल	**8881729**	**1598041**	**2335723**	**552377**	**120664**

क	जिला	घोड़ा	खच्चर	गधा	ऊट	योग	कुक्कुट
1	रायपुर	186	12	45	0	1532957	1468245
2	महासमुन्द	12	0	108	0	505464	273585
3	धमतरी	11	1	8	0	406103	152533
4	दुर्ग	194	0	72	0	1244853	776315
5	राजनांदगांव	79	1	63	2	932370	664411
6	कवर्धा	831	27	19	0	434964	78582
7	बिलासपुर	325	0	0	0	1065062	448229
8	कोरबा	34	7	0	0	487131	251331
9	जांजगीर	111	0	0	0	643551	255966
10	रायगढ़	0	0	32	0	676626	388161
11	जशपुर	592	0	5	0	700579	438126
12	अम्बिकापुर	1225	0	0	0	1720893	760101
13	कोरिया	208	0	2	0	445643	190262
14	जगदलपुर	114	3	4	0	1068562	1117596
15	कांकेर	6	0	1	0	558327	381656
16	दन्तेवाड़ा	79	0	1	0	1069869	536225
	कुल	**4007**	**51**	**360**	**2**	**13492954**	**8181324**

राज्य में सम्पन्न 17 वीं पशु गणना 2003 (सन्दर्भित तिथि 15 अक्टूबर 2003 के अनुसार)

6. विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं दायित्व का विवरण

6.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा।

6.2 टीकाकरण कार्य।

6.3 शिविर

6.4 पशु रोग अनुसंधान कार्य।

6.5 पशु माता महामारी

6.6 पशु नस्ल सुधार

6.7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

6.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा–

वर्तमान में प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए निम्नलिखित संस्थायें कार्यरत है:–

पशु चिकित्सालय	208	माता महामारी अनुगामी इकाई	05
पशु औषधालय	708	सघन टीकाकरण इकाई	01
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	07	पशु जांच चौकी	08
मोटर सायकिल चलित इकाई	20	पशु निरोध स्थल	01
चलित पशु चिकित्सा इकाई	07	पशु चिकित्सा महाविद्यालय	01
एम्बुलेंट्री पशु चिकित्सा इकाई	18	दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	01
स.प.चि.क्षे.अ.प्रशिक्षण केन्द्र	02		

विभागीय संस्थाओं द्वारा किये गये पशु उपचार, टीकाकरण संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2004–2005	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	पशु उपचार	1652313	1791095	1576908
2	औषधि वितरण	1717244	1877791	1664072
3	बधियाकरण	309392	320494	252605
4	टीकाकरण	7762748	10633925	8162724

6.2 टीकाकरण कार्य

विभगीय संस्थाओं द्वारा विगत तीन वर्षो का कार्य (जनवरी 2007 तक) का निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2004–2005	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	घटसर्प	2963454	5339387	4744030
2	एकटंगिया	1382946	2268994	1864727
3	छड़	459771	698855	149316
4	खुरहा चपका	273479	283215	215368
5	स्वाईन फीवर	9907	14791	7178
6	एन्ट्रोक्सिया	299726	199609	105519
7	पी.पी.आर.	185387	247115	184646
8	एन्टीरिबीज	4812	4406	2316
9	कुक्कुट	2172267	1577553	889624
10	अन्य	10999	-	-
	योग	**7762748**	**10633925**	**8162724**

6.3 शिविर

निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर में किये गये विगत तीन वर्ष (जनवरी 2007 तक) का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	2004–2005	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	शिविर संख्या	9353	13837	10791
2	उपचार	345322	417185	304476
3	औषधि प्रदाय	407245	489150	302158
4	बधियाकरण	57333	56446	39405
5	टीकाकरण	1462652	2493994	1656731
6	झनकहा आपरेशन	3331	2454	1772
7	शल्य क्रिया	460460	910	693
8	गर्भ परीक्षण	13654	15411	14886
9	बांझपन उपचार	2383	9849	8048
10	कृत्रिम गर्भाधान	2485	4433	5156
11	रक्त पट्टी जांच	12485	13683	10453

6.4 पशु रोग अन्वेषण कार्य

प्रदेश में पशुओं मे होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों की प्रमाणिकता/पुष्टि के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों मे सात पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालायें कार्यरत है। यह प्रयोग शालायें पशु चिकित्सक को पशु उपचार में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन करती है। प्रदेश की सभी प्रयोग शालायें अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। प्रयोगशाला में विभिन्न संक्रामक रोगो के परीक्षण कार्य संपन्न किये जाते है। पशुओं के साथ–साथ पक्षियों (कुक्कुट) आदि में होने वाले रोगो का परीक्षण एवं उपचार कार्य भी प्रयोगशालाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। राज्य के 9 नवीन जिलों में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

राज्य में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विगत तीन वर्षो का कार्य (जनवरी 2007 तक) का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	*ब्रुसेल्ला टेस्ट*	126	96	86
2	*पुलोरम टेस्ट*	820	291	-
3	*बैक्टिरियल कल्चर / Sensitivity मिल्क टेस्ट*	29/4	12/3	520
4	शव परीक्षण	255	1234	3367
5	प्राप्त नमूने	8438	8683	46617
6	टी.बी.टेस्ट	-	74	62
7	अन्य– बी.एस.ई., – 23 पी.पी.आर. – 349 एवियन इंफ्लुएंजा – 204	- - 12	1 20 290	896
8	एलाइजा ;सीरम सेम्पल मातामहामारी सीरो सर्वेलेन्स	2 366	352 1234	28
	कुल योगः–	**10052**	**12290**	**51576**

6.5 पशु माता महामारी योजना

पशु माता महामारी उन्मूलन इकाईयॉ, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय माता महामारी उन्मूलन परियोजना, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार ग्रामों के पशुओं की संक्रामक बीमारी, माता महामारी स्टाक रूट, ग्राम खोज, रोग उद्भेद की जानकारी, खून पट्टी तथा गोबर के नमूने लिये जाकर रोग अन्वेषण प्रयोगशाला से जानकारी प्राप्त की जाती है। जांच चौकी पर अन्य प्रदेशों से आने वाले पशुओं की जांच की जाकर, रोगग्रसित पाये जाने पर पशु उपचार किये जाने के पश्चात् ही इस राज्य में प्रवेश दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत आने वाली इकाईयों एवं पशु जांच चौकियों द्वारा विगत तीन वर्षो का कार्य (जनवरी 2007 तक) का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्य विवरण	2004–05	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	स्टाक रूट ग्राम खोज एवं सामान्य ग्रामखोज	15963	14316	8908
2	डे बुक निरीक्षण	1734	1587	1138
3	पशु उपचार	7455	36897	7703
4	पशु जांच चौकी से अन्य प्रदेश जाने वाले पशु जांच की संख्या	15937	18770	8293
5	पशु जांच चौकी से प्रदेश में आने वाले पशु जांच की संख्या	74612	74338	37447
6	खून पट्टी एवं गोबर के नमूने एकत्रीकरण	8253	5419	2463
7	एफ.एम.डी. टीकाकरण	23514	8890	5200
8	पशु स्वास्थ्य परीक्षण	276201	200720	89005
9	पशु बाजार को भेंट	26	29	07
10	पशु जन जागरण शिविर	22	72	12
11	पक्षी स्वास्थ्य परीक्षण	30644	125092	407459

6.6 पशु नस्ल सुधार

प्रदेश में 31.41 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं में से लगभग 12.56 लाख पशुओं को उन्नत प्रजनन के दायरे में लाने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत है :–

क्र.	संस्था का नाम	संख्या
1	गहन पशु विकास परियोजना	05
2	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	04
3	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र	02
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	20
5	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	240
6	मुख्य ग्राम खण्ड	10
7	मुख्य ग्राम खण्ड उपकेन्द्र	100
8	केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय(राज्य स्तरीय)	01

नस्ल सुधार कार्यक्रम की विगत तीन वर्षो की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2004–2005	2005–06	2006–07 (जनवरी 07)
1	कृत्रिम गर्भाधान	202776	231448	263695
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्स उत्पादन	49045	59209	60853
3	प्राकृतिक गर्भाधान	3733	4373	8140
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्स उत्पादन	1949	2606	3510

6.7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पर अगल–अलग श्रेणी के पशु/पक्षी (उन्नत नस्ल) पैदा कर प्रदेश की शासकीय संस्थाओं के साथ–साथ अन्य परियोजनांतर्गत् भी उन्नत प्रजनन हेतु उपलब्ध कराये जाते है। यह पशु/पक्षी शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के हितग्राही को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदाय किये जाते है।

राज्य में नीचे लिखे विवरण अनुसार विभिन्न श्रेणी के उन्नत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र सामने दर्शाये जिलों में स्थित है :–

1– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र **04**

1. (पकरिया) बिलासपुर
2. (सरकण्डा) बिलासपुर
3. (चंद्रखुरी) रायपुर
4. (अंजोरा) दुर्ग

2– सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र **02**

1. (परचनपाल) जगदलपुर
2. (सकालो) अम्बिकापुर

3– बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र **01**

1. (पकरिया) बिलासपुर

4– कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र **08**

1. दुर्ग
2. बिलासपुर
3. रायगढ़
4. जगदलपुर
5. असील जगदलपुर
6. बैकुण्ठपुर
7. कोण्डागांव
8. अम्बिकापुर

5– बतख सह टर्की पालन प्रक्षेत्र **02**

1. दुर्ग
2. सकालो (अंबिकापुर)

6– बटेर पालन प्रक्षेत्र **01**

1. दुर्ग

7. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

7.1 सर्वेक्षण कार्य

भारत शासन कृषि मंत्रालय (डेयरी एवं पशु पालन विभाग) के सहयोग से मुख्य पशु उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस एवं ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाने एकीकृत सर्वेक्षण कार्य संपूर्ण देश में कराया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ मे भी यह सर्वेक्षण कार्य गठन के साथ ही निरंतर जारी है। वर्ष 2006–2007 के लिए राज्य में कुल 20308 ग्रामों मे से 3046 ग्रामों का चयन प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए किया गया है। इन प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु चयनित ग्रामों मे से 165 ग्रामों का चयन कर इनमें उक्त पशु उत्पादों की उपलब्धता बाबत् विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न कराया जाता है। यह कार्य विभाग में पदस्थ (जिलों में) प्रगणकों के माध्यम से जिला प्रमुखों की देखरेख में सम्पन्न किया जाता है।

उन्नत पशु प्रजनन हेतु राज्य में भारत शासन के सहयोग से प्रारंभ की गई 5 गहन पशु विकास परियोजनाओं जो क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर (बस्तर) रायगढ़, सरगुजा में कार्यरत है, इन जिलों में भी इन परियोजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत प्रजनन की सुविधा, उन्नत पशु पालन की विधि, पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना आदि के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के गुण सिखाये जाते हैं। इन समग्र गतिविधियों द्वारा विभिन्न आयामों से हुई वृद्धि के लिए औसत पशु दुग्धोत्पादन/कुल दुग्ध उत्पादन के लिए तथा चारा प्रणाली एवं पशुपालन प्रणाली के लिए भी परियोजना क्षेत्र में न्यादर्श विधि से सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं।

पशु उत्पादों के वार्षिक उत्पादन गत वर्ष में निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	2003–2004	2004–05	2005–06
1	दुग्ध उत्पादन (000 मेट्रिक टन)	812	831	839
2	अण्डा उत्पान (लाख में)	8091	8139	8219
3	मांस उत्पादन (000 किलोग्राम)	3833	3870	3882
4	ऊन उत्पादन (000 किलोग्राम)	246	254	244

7.2 पशु संगणना

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत् भारत शासन ने देश के सभी राज्यों में 17वीं पशु संगणना कार्य सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सभी राज्यों के पशुपालन विभागों को सौंपा गया। इसके पूर्व यह कार्य राज्यों के आयुक्त, भूअभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा सम्पन्न कराया जाता रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह कार्य 15 अक्टूर, 2003 की स्थिति में प्रदेश के सभी ग्रामों में पशुधन गणना के आंकड़ों का संकलन कर, निर्धारित प्रपत्रों पर भारत शासन को भेजे जा चुके है, जिनका भारत शासन द्वारा अधिकृत प्रकाशन भी किया जा चुका है। द्वितीय चरण में इन प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण ग्राम स्तर से जिला स्तर तक जिला मुख्यालयों पर जारी है।

16वीं पशु संगणना 1997 एवं 17वीं पशु संगणना 2003 में पशु/पक्षी से संबंधित छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति पर तुलनात्मक आंकड़े :–

संक्षेपिका

क्रमांक	विवरण	16वीं पशु संगणना	17वीं पशु संगणना	अन्तर	प्रतिशत वृद्धि
1	उन्नत नस्ल के पशु	105371	252963	147592	140
2	उन्नत नस्ल के पक्षी	2319258	3009577	690319	30
3	स्थानीय देशी नस्ल	8680383	8628766	(-) 51617	(-) 1.59

भाग–दो

बजट

2.1 आयोजनेत्तर बजट एवं व्यय संबंधी टीप :–

वर्ष 2006–07 में आयोजनेत्तर मद में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता राशि को मिलाकर रूपये 5529.93 लाख का स्वीकृत प्रावधान था। विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2006 तक 3741.84 लाख का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त भारित मद में रूपये 1.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें अभी तक व्यय नहीं हुआ।

आयोजना (सामान्य) बजट एवं व्यय :–

वर्ष 2006–2007 में सामान्य आयोजना अन्तर्गत मांग संख्या 14 – 2403 पशुपालन (आयोजना) के अंतर्गत रूपये 1254.54 लाख का स्वीकृत प्रावधान था जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2006 तक रूपये 275.39 लाख का व्यय हुआ।

मांग संख्या 80–2403 पशुपालन (आयोजना) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता के अंतर्गत रूपये 140.20 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2006 तक रूपये 90.36 लाख व्यय हुआ।

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना :–

इस योजना अंतर्गत मांग संख्या 41–2403 पशुपालन (आयोजना) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2006 – 2007 हेतु रूपये 5710.12 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2006 तक रूपये 1408.52 लाख व्यय हुआ।

अनुसूचित जाति विशेषांक (विशेष घटक) योजना :–

विशेषांक घटक योजना अंतर्गत मांग संख्या 64 – 2403 पशुपालन (आयोजना) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत् वर्ष 2006 – 2007 में रूपये 182.82 लाख स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 2006 तक रूपये 131.93 लाख का व्यय हुआ।

2.2 बजट एवं व्यय एक दृष्टि में :–

आयोजनेत्तर बजट एवं व्यय

(आंकडे लाख रूपये में)

वर्ष	स्वीकृत प्रावधान	व्यय
2004 -2005	5114.26	4761.02
2005 - 2006	4958.04	5392.83
2006 - 2007	5392.00	3696.68 माह दिसम्बर 2006 तक

आयोजना बजट एवं व्यय

(आंकडे लाख रूपये में)

वर्ष	स्वीकृत प्रावधान	व्यय
2004 -2005	4779.57	2618.61
2005 - 2006	5532.65	3564.24
2006 - 2007	7287.68	1906.02 माह दिसम्बर 2006 तक

2.3 मांग संख्या 14 – 2403 पशुपालन (आयोजनेत्तर)

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006 – 2007 बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
001 – निर्देशन एवं प्रशासन	748.64	558.85
101 – पशु चिकित्सा सेवाएँ एवं पशु स्वास्थ्य	2467.01	1888.80
102 – पशु और भैंस विकास	1386.06	817.00
103 – मुर्गी पालन विकास	313.13	176.73
104 – भेंड़ एवं उन विकास	12.06	7.77
105 – सूकर विकास (सूकर प्रक्षेत्र बस्तर)	27.10	9.54
107 – चारा एवं दाना विकास	2.99	0.63
109 – विस्तार एवं प्रशिक्षण	130.11	54.93
113 – प्रशासनीक अन्वेषण एवं सांख्यिकीय	34.28	37.88
800 – अन्य व्यय	271.35	144.55
4403 – पशुपालन (बस्तर जिले मे पशुधन विकास)	00.10	Nill
योग 2403 पशुपालन (आयोजनेत्तर)	**5392.83**	**3696.68**
योग 2403 पशुपालन डिक्रीधन (भारित)	1.00	Nill

2.4 मांग संख्या 80 – 2403 पशुपालन (आयोजनेत्तर) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता/सहायक अनुदान के बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006–2007

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 2006 तक)
2549 – पशु चिकित्सालय / पशु औषधालय	75.50	43.20
3538 – मुख्य ग्रामीण योजना	19.60	7.83
1108 गहन पशु विकास परियोजना	42.00	13.91
योग	**137.10**	**65.16**

2.5 मांग संख्या 14-2403 पशुपालन (आयोजना) बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006-2007

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006 – 2007 बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
001 – निर्देशन एवं प्रशासन	15.11	6.99
101 – पशु चिकित्सा सेवाएँ एवं पशु स्वास्थ्य	295.00	19.83
102 – पशु और भैंस विकास	195.18	0
0103 – मुर्गी पालन विकास	230.00	7.18
104 – भेंड़ एवं उन विकास	20.00	0
105 – सूकर विकास (सूकर प्रक्षेत्र बस्तर)	10.00	0
106 – अन्य पशु विकास	208.35	0
109 – विस्तार एवं प्रशिक्षण	13.00	4.96
800 – अन्य व्यय	251.90	55.12
महायोग 2403 पशुपालन (आयोजना)	**1254.54**	**275.39**

2.6 मांग संख्या 80 – 2403 पशुपालन (आयोजना) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता /सहायक अनुदान के बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006 – 2007

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
2549 – पशु चिकित्सालय / पशु औषधालय	34.65	13.36
4082 – विशेष पशुपालन कार्यक्रम	15.00	5.87
1108 – गहन पशु विकास परियोजना	90.55	71.13
कुल योग	**140.20**	**90.36**

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
82 - 2403 – पशुपालन (आयोजना)		
2563 – पशु चिकित्सालयों एवं औष. की स्थापना	20.00	11.20
कुल योग	**20.00**	**11.20**

2.7 मांग संख्या 41 – 2403 पशुपालन (आयोजना) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006 – 2007

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
102 – पशु और भैंस विकास	5184.44	1138.27
103 – मुर्गी पालन विकास	67.50	32.89
105 – सूकर विकास	70.00	105.27
106 – अन्य पशु विकास	138.50	105.27
800 – अन्य व्यय **बस्तर में पशु धन विकास**	229.68	68.62
कुल योग	**5690.12**	**1397.32**

2.8 मांग संख्या 64 – 2403 पशुपालन (आयोजना) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत बजट एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2006 – 2007

(आंकडे लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	प्रावधान	व्यय दिस0तक
102 – पशु और भैंस विकास	136.82	101.14
105 – सूकर विकास	16.00	11.14
106 – अन्य पशु विकास	30.00	19.65
कुल योग	**182.82**	**331.93**

आयोजना

2.9 वर्ष 2006–2007 में विभाग को आयोजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा रूपये 7127.48 लाख उपलब्ध कराये गये है। जिसमें सामान्य योजना हेतु रूपये 1254.54 लाख आदिवासी उपयोजना हेतु रूपये 5710.12 लाख एवं विशेष घटक योजना के लिए रूपये 182.82 लाख सम्मिलित है।

उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2006 –2007 में माह दिसम्बर 2006 तक सामान्य योजना में कुल रूपये 275.39 लाख आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रूपये 1408.52 लाख तथा विशेष घटक योजना में रूपये 131.93 लाख का व्यय हुआ है।

2.10 विभाग अंतर्गत विगत तीन वर्षो में निम्नलिखित योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी इस प्रकार है।

(आंकडे लाख रूपये में)

क्र0	योजना का नाम	2004 – 2005		2005 – 2006		2006 – 2007	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1	सामान्य योजना	1371.79	1027.12	1829.16	1082.46	1254.54	275.39
2	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3013.52	1178.05	3486.13	2282.62	5710.12	1408.52
3	विशेष घटक योजना	394.26	368.46	217.36	199.16	182.82	131.93
		4779.57	**2573.63**	**5532.65**	**3564.24**	**7147.48**	**1815.84**

भाग—तीन

(अ) राज्य योजना (विभागीय कार्यशील योजनाएं)

3.1 कुक्कुट विकास

राज्य में कुक्कुट पालन एक पारम्परिक व्यवसाय है जिसे और अधिक लाभप्रद बनाये जाने की मुहिम जारी है। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने तथा बी.पी.एल. परिवारों की आय में वृद्धि के लिए वर्ष 2005—06 में 22551 इकाईयों का वितरण किया गया था। वर्ष 2006—07 में 15000 लक्ष्य के विरूद्ध 7311 इकाईयों का वितरण हुआ है। बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजनांतर्गत् विगत वर्ष 23792 इकाई (15 दिवसीय 55 चूजे) बांटे गये इस वर्ष 2006—07 में 17191 इकाईयां वितरित किये जाने की योजना है।

3.2 सूकर पालन योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति के सूकर पालकों को विनिमय के आधार पर वर्ष 2005—06 में 1692 सूकरत्रयी एवं 899 नर सूकर वितरित किए गए तथा वर्ष 2006—07 में 1000 सूकरत्रयी एवं 363 नर सूकर वितरित किये जा रहे है।

3.3 बकरी पालन योजना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विगत वर्ष बकरी पालकों को विनिमय के आधार पर 2668 बकरा इकाईयों का वितरण किया गया। वर्ष 2006—07 में 5500 नर बकरा इकाई वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

3.4 उन्नत नस्ल के सांडों का वितरण

नवीन योजना अंतर्गत् सुदूर ग्रामीण अंचलों में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु शतप्रतिशत् अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के हितग्राहियों को 299 उन्नत नस्ल के सांड प्रदाय किये गये। वर्ष 2006—07 के लिए 1900 सांड प्रदाय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

1.1 बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	13.25	2944	13.24	2942
2	2004-05	101.35	22522	94.36	20968
3	2005-06	109.80	24400	103.35	22551
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	67.50	15000	32.90	7311

2.1 विनिमय के आधार पर नर सूकर वितरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	6.00	150	5.96	149
2	2004-05	201.60	5040	182.42	4560
3	2005-06	40.00	909	39.83	899
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	16.00	363	11.38	253

2.2 विनिमय के आधार पर सूकरत्रयी वितरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	5.00	86	4.91	84
2	2004-05	202.50	3491	202.47	3490
3	2005-06	116.00	1657	115.66	1652
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	70.00	1000	52.26	746

3.1 विनिमय के आधार पर बकरा वितरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	10.00	370	9.94	364
2	2004-05	92.60	3429	92.52	3426
3	2005-06	81.00	2700	80.37	2668
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	165.00	5500	132.68	4422

4.1 शत प्रतिशत् अनुदान पर सांडों का वितरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	-	-	-	-
2	2004-05	50.00	333	49.81	332
3	2005-06	45.00	300	44.82	299
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	275.00	1900	51.00	340

3.5 शत प्रतिशत् अनुदान पर चारा वृक्षारोपण कार्यक्रम

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	-	-	-	-
2	2004-05	56.00	7000	56.00	7000
3	2005-06	24.00	3000	23.92	2808
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	16.00	2000	10.30	1287

3.6 विशेष पशुपालन कार्यक्रम

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2003-04	29.70	989	26.77	887
2	2004-05	25.00	833	21.14	644
3	2005-06	15.00	100	14.94	99
4	2006-07(दिसम्बर, 06)	7.80	260	3.57	118

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना–

भारत सरकार से स्वीकृत योजनाएं :– अद्यतन स्थिति

3.7 गौ वंशीय भैस वंशीय परियोजना (5वर्षीय) 1042 लाख 100% केन्द्रीय अनुदान

परियोजना हेतु केन्द्र शासन द्वारा रू0 1042 लाख की उपलब्धता से छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण का गठन कर एक अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, अंजोरा जिला दुर्ग की स्थापना की गई। परियोजनान्तर्गत राज्य के चयनित जिलों दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी एवं जांजगीर में घर पहुंच कृत्रिम गर्भाधान सुविधा हेतु 709 चलित इकाईयों की स्थापना तथा जिलों में तरल नत्रजन प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु तरल नत्रजन टेंकर क्षमता (6000 लीटर) संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें को उपलब्ध करायी गयी। जिला मुख्यालयों में कार्यगति लाने हेतु कम्प्यूटरों का प्रदाय, विभागीय अमले के प्रशिक्षण के लिए महासमुंद व जगदलपुर प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, जिला–दुर्ग में भूमि सुधार, विभागीय अमले को तकनीकी प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है।

3.8 पशु रोग नियंत्रण परियोजना (ASCAD)

यह भारत सरकार की पशु रोग नियंत्रण की महत्वपूर्ण योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य है:–

1. पशुधन एवं कुक्कुट में होने वाली संक्रामक बिमारियों की सघन रूप से प्रतिबंधात्मक टीकाकरण द्वारा रोकथाम ।

2. पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण किया जाना।

3. पशुओं में होने वाली विभिन्न बिमारियों के लक्षण, बचाव इत्यादि से संबंधित जानकारियों का व्यापक प्रचार–प्रसार व शिविरों, कार्यशाला का आयोजन किया जाना तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना ।

अभी तक कुल चार जिलों में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं का योजनान्तर्गत् उन्नयन/सुदृढ़ीकरण कर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत् प्रत्येक माह बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है। जिसके द्वारा पशु रोगों से संबंधित जानकारी के बारे में जन जागरूकता लाने हेतु लेख, समाचार आदि का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 2006–07 हेतु कुल राशि रूपये 633.40 प्रावधानित है। जिसमें टीकाकरण हेतु रूपये 343.20 लाख, प्रशिक्षण हेतु रूपये 10.80 लाख एवं पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रूपये 207.00 लाख में 07 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जावेगा एवं अन्य व्यय हेतु रूपये 72.40 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3.9 बतख सह टर्कीपालन प्रक्षेत्र, दुर्ग का सुदृढ़ीकरण

राज्य के योजनाओं में पक्षियों की पूर्ति हेतु बतख सह टर्कीपालन प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रूपये 85.00 लाख प्राप्त हुए, जिससे चूजा उत्पादन में दोगुना वृद्धि होगी।

3.10 राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन

पशु चिकित्सा के मापदण्ड अनुसार विभागीय संस्थाओं के उन्नयन एवं पशु चिकित्सा स्नातकों के पंजीयन हेतु परिषद् का गठन किया गया है। जिसमें 307 पशु चिकित्सकों का पंजीयन किया जा चुका है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत् व्यय वितरण निम्न है :–

क्र	योजना विवरण	वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07 (दिस.06)	
		प्रावधनित	व्यय	प्रावधनित	व्यय	प्रावधनित	व्यय
1	मुहखुरी रोग हेतु टीकाद्रव्य का क्रय	6.20	6.15	10.00	-	-	-
2	पशु रोग नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण पशु रोगों की रोकथाम (एस्काड)	238.00	100.00	335.00	192.46	405.85	45.57
3	कुक्कुट विकास : कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	85.00 (स्वीकृत अप्राप्त)	-	85.00	84.50	85.00 (स्वीकृत अप्राप्त)	-
4	पशु रोगों की विधिवत रोकथाम	14.00	8.74	16.55	4.50	16.55	2.08
5	दुग्ध, अण्डा मांस की उपलब्धता	36.94	28.79	15.83	10.89	16.58	7.27
6	राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना	1.60	1.60	15.00	15.00	20.00	-
	योग	**381.74**	**145.28**	**477.38**	**307.35**	**543.98**	**54.92**

(स) केन्द्र क्षेत्रक योजनायें

(केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान)

3.11 पंचवर्षीय गौवंशीय–भैसवंशीय योजना

गौवंशीय–भैसवंशीय परियोजनांतर्गत् उन्नत पशु प्रजनन सुविधाओं में विस्तार व सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक अधोसंरचना व मानव संसाधन विकास हेतु योजना क्रियान्वित है।

(अ) निजी कृत्रिम गर्भाधान सहायक प्रशिक्षण कार्य

उक्त योजनांतर्गत पशुधन विकास अभिकरण, रायपुर से 300 प्रशिक्षित गौसेवकों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रशिक्षण देकर एवं किट इत्यादित प्रदाय कर, कृत्रिम गर्भाधान कार्य के व्यवसाय में कार्यरत् किया गया।

(ब) हिमीकृत वीर्य केन्द्र, अंजोरा दुर्ग

प्रदेश के बाहर से आनेवाले हिमीकृत वीर्य के उत्पादन से प्रदेश स्वयं निर्माण की दिशा में अग्रसर है, जिसमें वर्ष 2006–07(सितम्बर, 2006) में 2.00 लाख डोसेस हिमीकृत वीर्य का उत्पादन हुआ है।

3.12 एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से राज्य के पॉच जिले रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कबीरधाम एवं जशपुर में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कुल स्वीकृति राशि रूपये 1549.79 लाख में से प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त राशि रूपये 379.20 लाख में परियोजना में भवन निर्माण कार्य संयंत्र स्थापना व सामग्री क्रय कर संयंत्र स्थापित किया गया है। राज्य शासन द्वारा परियोजना जिलों के लिये डेयरी सेवा का सेटअप स्वीकृत किया गया है । पदस्थापना की कार्यवाही की गई है । पॉचों जिलों में परियोजना के प्रारम्भिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

क्षेत्र का सर्वेक्षण, दुग्ध संकलन मार्गो का चयन, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन, प्रशिक्षण हेतु किसानों का चयन, दुधारू पशुओं के वितरण हेतु किसानों का चयन संबंधित कार्यवाही की गई है। इन पॉचों परियोजनाओं में 176 समितियों का गठन कर दिया गया है। जिसमें 6446 प्राथमिक सदस्य है । रायगढ़ में उपलब्ध पुराने संयंत्रों में आवश्यक सुधार कर परियोजना में दुग्ध संकलन एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़, अम्बिकापुर के परिसर में पुराने भवनों का आवश्यक सुधार कार्य किया गया हैं । कोरिया, कबीरधाम एवं जशपुर में डेयरी परियोजना भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डेयरी संयंत्र स्थापना कार्य भी पूर्ण हो चुका है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलन कार्य प्रारंभ किया जावेगा। परियोजनाओं की अन्य गतिविधियों संचालित किये जाने हेतु आवश्यक फण्ड विमुक्त करने बाबत् भारत सरकार की ओर प्रस्ताव भेजा गया है। पांच परियोजनाओं का कार्यकाल 2010–2011 तक बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। जिला–जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा एवं कोरबा जिलें में सघन डेयरी विकास कार्यक्रम संचालन हेतु रू0 1818.24 लाख का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

राज्य डेयरी प्रयोगशाला :

भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रूपये 34.40 लाख स्वीकृत की गई । विभागीय बंटन से राज्य डेयरी प्रयोगशाला का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । प्रयोगशाला सामग्री क्रय की कार्यवाही की जा रही है। डेयरी सेवा के 5 अधिकारी/ कर्मचारी को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन आदेश 1992 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केन्द्र करनाल में प्रशिक्षण दिलाया गया ''इस प्रयोगशाला से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश के अन्तर्गत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों तथा पशु आहार की जॉच गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया जाना है, तथा किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिये उत्पादक किसानों/ उपभोक्ता के घर से दूध एवं दूध पदार्थ का नमूना एकत्र कर लाया जावेगा, उसका परीक्षण कर दूध एवं दूध पदार्थो में पोषक तत्वों की कमी से संबंधित तथा उन पोषक तत्वों की पूर्ति के संबंध में, किसानों को समझाईस/प्रशिक्षित किया जावेगा जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में शनैः–शनैः उच्च गुणवत्ता/राष्ट्रीय मानक स्तर के दूध एवं दूध पदार्थ का उत्पादन करना है ।

<u>केन्द्र क्षेत्रक योजनाओं का व्यय विवरण</u>

(राशि लाख रूपये में)

क्र	योजना विवरण	वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07 (दिस.06)	
		प्रावधा–नित	व्यय	प्रावधा–नित	व्यय	प्रावधा–नित	व्यय
1	पशु चिकित्सा सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य पशु माता महामारी कार्यक्रम	13.92	14.55	8.49	6.28	9.11	4.64
2	पशु संगणना कार्यक्रम	160.14	160.14	-	-	-	-
3	डेयरी विकास (एकीकृत डेयरी विकास परियोजना की स्थापना)	354.92	-	489.42 (स्वीकृत अप्राप्त)	-	354.92 (स्वीकृत अप्राप्त)	-
4	धान पैरा यूरिया उपयार	-	-		25.00	-	-
	योग	**528.98**	**174.69**		**522.91**	**364.03**	**4.64**

(द) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :

निरंक

(इ) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :

निरंक

(फ) अन्य योजनाएं

3.13 बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना

बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के आर्थिक उन्नयन हेतु कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन क्षमता में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना, जगदलपुर का संचालन डेनिडा के आर्थिक सहयोग (1999–2004) उपरांत छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तीनों जिलों के 40 विकास खण्डों के 435 ग्रामों के लगभग 36000 परिवारों की आय में बढ़ोत्तरी के प्रयास किये जा रहे है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने, घर पहुंच पशु चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने एवं विभिन्न कम लागत की उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से 813 ग्राम सहयोगकर्ता/गौसेवकों 3700 आदर्श कृषकों, 10143 ग्राम सदस्यों को पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, चारा विकास एवं सामाजिक विषयों के अतिरिक्त समसामयिक विषयों पर प्रशिक्षण देने के साथ–साथ बाह्य प्रशैक्षणिक भ्रमण के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र समाहित कर, विभागीय प्रशिक्षण अकादमी संचालित की जाना प्रक्रियाधीन है। जिसके अंतर्गत माह जनवरी 2007 तक 11 बैचों में राज्य के 16 जिलों के 224 प्रशिक्षणार्थियों (**VAS/AVFO**) को पशुपालन प्रबंधन एवं पशु चिकित्सा कौशल विस्तार विषयक 08 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही परियोजना के 16 विकास खण्ड विस्तार दलों द्वारा पैरावेट के माध्यम से दूरस्थ ग्रामों में 569944 पक्षियों में टीकाकरण,156882 पशुओं में टीकाकरण, 428179 कृमिनाशक दवापान, 18163 प्राथमिक उपचार कार्य, 210 बांझपन निवारण शिविर एवं 2852 विभिन्न कम लागत की उन्नत तकनीक की प्रदर्शन इकाईयां स्थापित की गई।

वर्ष 2007 तक परियोजना द्वारा कुल 130 ग्राम समिति के अलावा 305 महिला बाहुल्य स्वसहायता समूह स्थापित कर लगभग 4100 सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया है। इन समितियों एवं स्व सहायक समूह को परियोजना द्वारा ग्राम निधि के रूप में राशि प्रदान की गई है। पंजीकृत 10143 सदस्यों द्वारा स्वयं की बचत के रूप में 29.63 लाख रूपये की सदस्यता शुल्क जमा की गई । माह जनवरी 2007 तक परियोजना ग्राम समितियों एवं स्व सहायता समूहों के पास कुल 93.53 लाख रूपये की राशि शेष है।

परियोजना द्वारा बाह्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित कर 366 प्राईवेट कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण प्रदान किया है । बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना जगदलपुर को शासन द्वारा वर्ष 2006–07 में 193.78 लाख रूपये का बंटन प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध जनवरी 2007 तक विभिन्न मदों में कुल 89.819 लाख रूपये की व्यय किया गया है ।

3.14 गौ सेवक योजना

शासन द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों जो पशु चिकित्सा संस्थाओं के काफी दूर स्थित है तक पशु चिकित्सकीय कार्यो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना मे संबंधित ग्राम के दसवीं कक्षा उर्त्तीण एक युवक को पशुओं के प्राथमिक उपचार का छः माही प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत गौ सेवक उस ग्राम में सशुल्क पशुओं का प्राथमिक उपचार कर सकता है, जिससे उसको जहां एक ओर रोजगार उपलब्ध हो जाता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पशुओं को तत्काल प्राथमिक उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाती है।

(योजना प्रारंभ से दिसम्बर 2006 तक) प्रशिक्षित गौ सेवक

1–	प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके गौ सेवक	**5087**
2–	प्रशिक्षण ले रहे गौ सेवक	**812**
3–	व्यवसायरत गौ सेवक	**4275**

3.15 रोगी पशु कल्याण समिति

राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए रोगी कल्याण समिति की स्थापना सन् 1999 में की गई थी। जिसमें पशुपालकों से एक न्यूनतम राशि पंजीयन शुल्क के रूप में लेकर उक्त निधि में जमा की जाती है। पशु रोगी कल्याण शुल्क के व्यय हेतु जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जिसमें जिले के उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें समिति के सदस्य सचिव होते है।

1. संस्था का नाम – जिला पशु कल्याण समिति।
2. संस्था का कार्यालय – पशु चिकित्सालय परिसर संपूर्ण जिला छत्तीसगढ़।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण जिला छत्तीसगढ़।
4. संस्था का उद्देश्य –

    1. क्षेत्र के पशुओं के उपचार, की व्यवस्था करना।
    2. उन्नत पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराना।
    3. इनडोर पशु मालिकों की चिकित्सालय परिसर में ठहरने की व्यवस्था करना।
    4. पशु चिकित्सा प्रबंधन में सुधार।
    5. पशु चिकित्सा एवं उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।
    6. शासकीय एवं अनुदान प्राप्त गोसदन का कार्य।
    7. पशु कूरता अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराना।
    8. पशु पक्षी कल्याण के अन्य कार्य।

दिसम्बर 2006 तक राज्य की उक्त समितियों में लगभग राशि रू. 45.00 लाख उपलब्ध है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषयक

निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

5.1 गाय वितरण योजना–

एन.डी.डी.बी. के सहयोग से अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण अंचल के परिवारों को आर्थिक उन्नयन हेतु भारतीय नस्ल की गाये निःशुल्क प्रदाय की जा रही है। अभी तक (जनवरी 2007 तक) 14459 गायें प्रदाय की गई।

गाय वितरण की अद्यतन जानकारी दिनांक 31.01.2007

क्रं	जिला	विकास खंड	लक्ष्य	दुधारू गाय वितरण			
				वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–2007	कुल वितरण
				प्रथम गाय	द्वितीय गाय		
1	**बस्तर**	जगदलपुर	1500	1199	621	300	2120
		कोण्डागांव	1500	1204	.	297	1501
		बस्तर	1500			323	323
		फरसगांव	1500			1498	1498
		बकावण्ड	1500			1146	1146
		योग	**7500**	**2403**	**621**	**3564**	**6588**
2	**महासमुन्द**	बागबाहरा	1500	1203	593	.	1796
		योग	**1500**	**1203**	**593**	**.**	**1796**
3	**धमतरी**	नगरी	1500	1206	355	303	1864
		योग	**1500**	**1206**	**355**	**303**	**1864**
4	**कांकेर**	कांकेर	1500	1200	.	303	1503
		चारामा	1500	.	.	1500	1500
		योग	**3000**	**1200**	**.**	**1803**	**3003**

5	**बिलासपुर**	गौरेला	1500	1208	.	.	1208
		योग	**1500**	**1208**	**.**	**.**	**1208**
6	**रायगढ़**	घरघोड़ा	1500	.	.	.	.
		योग	**1500**	**.**	**.**	**.**	**.**
7	**सरगुजा**	सूरजपुर	1500	.	.	.	.
		राजपुर	1500	.	.	.	.
		अंबिकापुर	1500	.	.	.	.
		योग	4500	.	.	.	.
	योग		**21000**	**7220**	**1569**	**5670**	**14459**

5.2 बैलजोड़ी वितरण योजना–

ग्रामीण अंचल में निवासरत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि कार्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे परिवारों जिनके पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, उन्हें निःशुल्क बैलजोड़ी प्रदाय की अभिनव योजना शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। बैलजोड़ी प्रदाय हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में 09 सदस्यीय समिति गठित की गई है। प्रदेश के 85 अनुसूचित तथा 03 प्रीमिटिव ट्राइव इस प्रकार कुल 88 विकासखण्डों में बैलजोड़ी वितरण प्रारंभ है। अभी तक (जनवरी 2007 तक) 26150 बैलजोड़ी वितरण किये गये।

बैलजोड़ी वितरण की अद्यतन जानकारी दिनांक 31.1.2007

क्रं	जिला	विकासखण्ड	लक्ष्य	बैलजोड़ी वितरण		योग
				वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	
1	**बस्तर**	नारायणपुर	1000	843	100	943
		ओरछा	1000	359	.	359
		बड़ेराजपुर	1000		167	167
		तोकापाल	1000		334	334
		केशकाल	1000	.	72	72
		जगदलपुर	1000	.	185	185
		फरसगांव	1000	.	65	65
		दरभा	1000	.	36	36
		माकडी	1000		54	54

		बस्तर	1000	.	.	.
		लोहाण्डीगुड़ा	1000	.	.	.
		बास्तानार	1000	.	.	.
		बकावण्ड	1000	.	.	.
		कोण्डागांव	1000	.	.	.
	योग	**14**	**14000**	**1202**	**1013**	**2215**
2	**कांकेर**	अंतागढ़	1000	432	172	604
		पंखाजूर	1000	15	.	15
		नरहरपुर	1000	.	1000	1000
		दुर्गकोन्दल	1000	.	449	449
		कांकेर	1000	.	274	274
		भानुप्रतापपुर	1000	.	796	796
		चारामा	1000	.	92	92
	योग	**07**	**7000**	**447**	**2783**	**3230**
3	**दंतेवाड़ा**	**भैरमगढ़**	1000	664	.	664
		बीजापुर	1000	272	147	419
		आवापल्ली	1000	29	.	29
		भोपालपटनम	1000	39	.	39
		गीदम	1000	.	976	976
		सुकमा	1000	.	275	275
		दंतेवाड़ा	1000	.	79	79
		कटेकल्याण	1000	.	105	105
		छिन्दगढ़	1000	.	.	.
		कोंटा	1000	.	.	.
		कुआकोण्डा	1000	.	.	.
	योग	**11**	**11000**	**1004**	**1582**	**2586**
4	**कोरबा**	कोरबा	1000	600	66	666
		पाली	1000	600	321	921
		करतला	1000	600	.	600
		पोड़ीउपरोड़ा	1000	667	333	1000
		कटघोरा	1000	533	457	990
	योग	**05**	**5000**	**3000**	**1177**	**4177**

5	रायपुर	गरियाबंद	1000	.	51	51
		छुरा	1000	.	472	472
		मैनपुर	1000	.	990	990
	योग	**03**	**3000**	.	**1513**	**1513**
6	रायगढ़	तमनार	1000	.	203	203
		धरमजयगढ़	1000	.	354	354
		घरघोड़ा	1000	.	72	72
		लैलूंगा	1000	.	154	154
		खरसियां	1000	.	.	.
	योग	**05**	**5000**	.	**783**	**783**
7	बिलासपुर	पेण्ड्रा	1000	.	593	593
		मरवाही	1000	.	445	445
		गौरेला	1000	.	58	58
		कोटा(बै.प्री.ट्रा)	300	.	.	.
	योग	**04**	**3300**	.	**1096**	**1096**
8	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	1000	.	398	398
		जनकपुर	1000	.	864	864
		बैकुंठपुर	1000	.	.	.
		सोनहत	1000	.	.	.
		खडगवां	1000	.	.	.
	योग	**05**	**5000**	.	**1262**	**1262**
9	सरगुजा	प्रेमनगर	1000	.	52	52
		लुण्ड्रा	1000	.	874	874
		ओड़गी	1000	.	272	272
		रामानुजगंज	1000	.	775	775
		सीतापुर	1000	.	469	469
		शंकरगढ़	1000	.	654	654
		रामानुजनगर	1000	.	86	86
		प्रतापपुर	1000	.	40	40
		कुसमी	1000	.	484	484
		बतौली	1000	.	209	209
		बलरामपुर	1000	.	214	214
		उदयपुर	1000	.	667	667

		मैनपाट	1000	.	252	252
		अंबिकापुर	1000	.	160	160
		वाड्रफनगर	1000	.	33	33
		राजपुर	1000	.	593	593
		लखनपुर	1000	.	601	601
		भैयाथान	1000	.	.	.
		सूरजपुर	1000	.	.	.
	योग	**19**	**19000**	.	**6435**	**6435**
10	**जशपुर**	मनौरा	1000	.	824	824
		कुनकुरी	1000	.	522	522
		दुलदुला	1000	.	281	281
		फरसाबहार	1000	.	804	804
		कांसाबेल	1000	.	125	125
		जशपुर	1000	.	101	101
		बगीचा	1000	.	.	.
		पत्थलगांव	1000	.	.	.
	योग	**08**	**8000**	.	**2657**	**2657**
11	राजनांदगांव	चौकी	1000	.	57	57
		मानपुर	1000	.	39	39
		मोहला	1000	.	.	.
	योग	**03**	**3000**	.	**96**	**96**
12	**धमतरी**	नगरी	1000	.	100	100
	योग	**01**	**1000**	.	**100**	**100**
13	**दुर्ग**	डौडी	**1000**	**.**	**.**	**.**
	योग	**01**	**1000**	.	.	.
14	**कबीरधाम**	बोड़ला (बै.प्री.ट्रा)	**350**	.	.	.
		पंडरिया (बै.प्री.ट्रा)	**350**		.	.
	योग	**02**	**700**	.	.	.
	महायोग	**88**	**86000**	**5653**	**20497**	**26150**

5.3 ग्रामोत्थान योजना –

राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्य को गतिशील करने हेतु ग्रायों के चराने में लगे चरवाहों के माध्यम से गर्मी में आने वाली गायों को कृत्रिम गर्भाधान हेतु संस्थान में लाने पर प्रोत्साहन राशि रूपये 5=00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान की दर से दी जा रही है। इसी तरह देशी नस्ल के नाटों के बधियाकरण कराने हेतु रूपये 5=00 प्रति पशु की दर से राशि दी जायेगी। वर्ष 2006–07 में इस योजना के तहत् राशि रूपये 8.35 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.4 डेयरी विकास कार्यक्रम –

राज्य के जिला रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कबीरधाम एवं जशपुर नगर में स्थापित की जा रही एकीकृत डेयरी विकास परियोजना क्षेत्र में महिला दुग्ध सहकारी समिति का गठन कर, उन्हें प्रशिक्षित करने, दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु दुग्ध विक्रय बुथ की स्थापना एवं सदस्यों को पशुपालन, चारा उत्पादन एवं प्रबंधन की प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 30.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है।

5.5 चारा विकास–

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पकरिया जिला–बिलासपुर में उपलब्ध कृषि योग्य 100 एकड़ भूमि पर चारा/चारा बीज उत्पादन हेतु राशि रूपये 60.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे 270 क्विंटल विभिनन प्रजाति का चारा बीज उत्पादन एवं 5025 टन हरा चारा उत्पादन प्रति वर्ष हो सकेगा।

5.6 सांड वितरण योजना–

छत्तीसगढ़ शासन ने उन्नत प्रजनन सुविधा विहीन प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भारतीय दुधारू/द्विकाजी नस्ल के सांड वितरण की अभिनव योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2006–07 में रूपये 2.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सांड वितरण प्रारंभ है।

5.7 जे.के.ट्रस्ट ग्राम विकास योजना

छत्तीसगढ़ शासन ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से जनवरी 2004 से दिसम्बर 2006 तक 07 जिलों के 34 विकास खण्ड़ों में 127 पशुधन विकास केन्द्र स्थापित कर पशु संवर्धन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । उक्त कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है ।

रायपुर एवं महासमुंद जिले के 19 विकास खण्ड़ों में आगामी 5 वर्षों में 200 पशुधन विकास केन्द्र स्थापित करने शासन स्वीकृति के तहत जून 2004 से अब तक कुल 200 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

जे0के0 ट्रस्ट ग्राम विकास योजना गोपालनगर जिला–जांजगीर द्वारा माह जनवरी 2007 तक निम्नानुसार कार्य किया गया है :–

क0	विवरण		जिला पंचायत के सहयोग से	पशुपालन विभाग के सहयोग से	योग
1	जिलों की संख्यां		07	02	09
2	विकास खण्ड़ों की संख्यां		34	19	53
3	स्थापित पशुधन विकास केन्द्रों की संख्यां		127	200	327
4	कृत्रिम गर्भाधान कार्य	गाय भैंस योग	27882 8457 36039	34607 5977 40584	62189 14434 76623
5	वत्सोत्पादन	गाय भैंस योग	5765 2625 8390	4147 967 5114	9912 3592 13504
6	बधियाकरण		18549	27027	45576
7	बांझ उपचार		5276	4565	9841
8	कृमिनाशक एवं औषधि प्रदाय		14654	11058	25712
9	प्राथमिक उपचार		16952	20140	37092
10	प्रतिबंधात्मक टीकाकरण		70092	76127	146219

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन का विवरण

भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से एस्काड योजनांतर्गत् ''छत्तीसगढ़ व्हेटनरी बुलेटिन'' मासिक पत्रिका का प्रकाशन छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से किया जा रहा है, जो राज्य की सभी अधिनस्थ संस्थाओं को भेजा जाता है।

भाग—सात

(सारांश)

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के कृषकों एवं पशुपालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। विभाग में संचालित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के 20308 आबाद ग्रामों में वर्ष 2006—07 (जनवरी, 2007) 15.76 लाख पशुओं का उपचार एवं 16.64 लाख औषधि वितरण तथा संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु 81.62 लाख पशुओं का टीकाकरण एवं 2.52 लाख पशुओं का बधियाकरण किया गया। 2.63 लाख कृत्रिम गर्भाधान तथा 0.60 लाख वत्सोत्पादन हुआ।

वर्ष 2006 फरवरी में गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में एवियन इन्फ्लूएंजा का रोग मुर्गियों में आया था। सतर्कता तथा प्रतिबन्धात्मक उपायों के अन्तर्गत् प्रदेश के सभी 650 पशु चिकित्सकों तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को एवियन इन्फ्लूएंजा से बचाव तथा रोग उद्भेद की स्थिति में रोग के फैलाव को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया। पक्षियों में 6396 सेम्पल लिए जाकर एच.एस.ए.डी.एल. भोपाल को भेजे गए।

आधार वर्ष 2001—02 के पशु उत्पादों में वार्षिक उत्पादन के अनुसार, दुग्धोत्पादन में 5.80% वृद्धि, अण्डा उत्पादन में 6.69% , मांस उत्पादन में 5.20% तथा ऊन उत्पादन में 1.25% वृद्धि दर्ज की गई।

—::0::—